

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 148

प्रकरण क्रमांक- SM-PRO-2023-02013

आवेदक : छ.ग. रेरा विरुद्ध बालाजी बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स, पता-शॉप नं.-14, प्रथम तल, बांबे मार्केट, राज टाकिज के सामने, जी.ई.रोड, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
06/12/2023	<p>— प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>— अनावेदक द्वारा प्रतिनिधि सी.ए. श्री विक्रम छाबड़ा उपस्थित।</p> <p>उनके द्वारा जवाब पेश किया गया, जिसमें त्रुटिवश पेपर में क्लासीफाईड विज्ञापन में रेरा पंजीयन क्रमांक और रेरा वेबसाईट छूट गया है। भविष्य में त्रुटि नहीं होगी, लेख कर क्षमा याचना की गई है।</p> <p>अनावेदक के विरुद्ध राशि 1,000/- (एक हजार रुपये) शास्ति अधिरोपित किया जाता है। भविष्य में रेरा अधिनियम के प्रावधानों का भलीभांति पालन किया जावे। इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं किया जावे, चेतावनी देते हुये प्रकरण की कार्यवाही समाप्त किया जाता है।</p> <p>अधिरोपित शास्ति शासकीय कोष में जमा करने के उपरांत प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ दाखिल किया जावे।</p> <p>सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p>	<p>सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>